राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प3(50)नविवि / 03 / 2012.

こうこうこうこう

1

1

जयपुर. - दिनांक 31.07.2012

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धाग 90-क की उप-धारा (4) के साम पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुझा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 16 के उप-नियम (4) के अन्तर्गत प्रतत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नगरीय क्षेत्रों (जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की लालकोठी योजना, जवाहर लाल नेहरू मार्ग के दोनों ओर की 200 फिट चौडी पट्टी के भीतर एवं पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र को छोडकर) में दिनांक 17.06.1539 से पूर्व के कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए नियमन के मामलों में-प्रीमियम की दरें आवेदित भूमि के लिए निम्नांकित तालिका के अनुसार निर्धारित करती है :-

- तालिका

(रू० प्रति वर्गगज)

| | | | • | | , |
|--------|--|----------|--|--------------------------|--|
| क्र.म. | भूमि उपयोग का प्रयोजन (कृषि से) | में जयपर | जयपुर को छोडकर अन्य संभागीय मुख्यालय दाले शहरों के लिए | कप रकशीय जाया से अधान | एक लाख से कम जनसंख्या वाले समस्त नगरीग कस्बें |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | आवासीय (200 वर्गगज तक) | 60 | 60 | 50 | 40 |
| 2 | आवासीर (200 वर्गगज से अधिक) | 90 | 90 | 75 | 60 |
| 3 | वाणिज्यिक (200 वर्गगज तक) | 400 | 360 | 240 | 160 |
| 4. | व्राणिज्यिक (200 वर्गगज से अधिक) | 400 | 360 | 300 | 240 |
| 5 | रांस्थानिक | 60 | 60 | 60 | 40 |
| Ģ | औद्योगिक | 60 | 60 | 60 | 40 |

(114)

(1) वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ निर्मित भूखण्डों के नियमन के लिए प्रीमियम दरें निम्नाकित होगी -

वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमित किये जाने वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल

(अ) 1-110 वर्ग फुट

परन्तु

आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दर + 5000.00 रुपये

वाणिजिसक प्रयोजनार्थ देव दर

(ब) 111-300 वर्ग फुट

आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्ग्तीत प्रीमियम दर + 10000.00 रुपये

(स) 301-500 वर्ग फुट

आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दर + 20000.00 रुपये

(द) 501 <u>वर्ग फुट</u> या उससे आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दर अधिक + प्रति 50 वर्गफुट या उसके अंश पर 2500.00 रुपये

(2) उपरोक्त दरों के आधार पर वसूली योग्य कुंज राशि में से पूर्व में जमा करायी गई राशि समायोजित कर ली जावेगी। परन्तु अधिक जमा राशि (यदि कोई हो तो) वापिस नहीं लौटाई जावेगी। पूर्व में जिन प्रकरणों में रूपान्तरण प्रक्रिया पूर्ण होकर पट्टा विलेख या॰ आवंटन जारी हो गया है, ऐसे प्रकरणों को प्रीमियन दरों के लिए पुनः नहीं खोला जावेगा।

(3) प्रीमियम की उपरोक्त दरें दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी. तत्पश्चात प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्ष की दरों में 10 प्रतिश्त वृद्धि करते हुये उस वर्ष के लिए प्रचलित दरें मानी जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाले सिंह संधु) प्रमुख शासन सचिव

(115)

2

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः 9.3(50)नगिति / 03 / 2012

2;

The second

जयपुर दिनाक 31.0/.2012 -

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :--

- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त.शासन, नगरीय विकास एवं आवादत विभाग, राजस्थान।
- 3. उप राचिव, मुख्य राचिव कार्यालय, राजस्था : जयपुर।
- निजि सचिव, प्रमुख शासन सविव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
- 5. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 7. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर।
- 8. शासन उप सचिव– प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- 9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 10. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना की प्रति समस्त नगरनिगमों / नगरपरिषदों / नगरपालिका मण्डलों को भिजवाने की व्यवस्था करावे।
- निदेशक, मुद्रण एवं लेखेन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन अविलम्ब राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में करावे तथा इसकी 200 प्रतियां इस विभाग को प्रेषित करावे।
- 12. अधीक्षक केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को उपरोक्तानुसार राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

3

(116)

- 13. संचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/ जोधपुर।
- 14. समस्त सविव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
- 15. रक्षित पत्रावली।

उप शासन स**चिव**-द्वितीय